

प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1st Annual Report

2007-08



राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफटेम)
(भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित)

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)
(Set up By Government of India, Ministry of Food Processing Industries)

प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1ST ANNUAL REPORT

2007-2008

**राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता
और प्रबंधन संस्थान (निफटेम)**

(भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित)

**NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY
ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)**

(Set up By Government of India, Ministry of Food Processing Industries)

पंजीकृत कार्यालय :

Registered Office :

पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110 049

Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi 110 049

फोन नं./ Phone No. : 26497131, 26497132 फैक्स नं./ Fax No. : 26497134

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विशिष्टियां	पृष्ठ सं०
1.	निदेशक बोर्ड	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2-10
3.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	11-12
4.	लेखे और वित्तीय विवरणियां	13-21
5.	सीएजी की टिप्पणियां	22-24

CONTENTS

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Board of Directors	1
2.	Directors' Report	2-10
3.	Auditors' Report	11-12
4.	Accounts & Financial Statements	13-21
5.	Comments of CAG	22-24

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष :

श्री पी. आई. सुव्रतन,
सचिव, भारत सरकार,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

निदेशक :

श्री अजीत कुमार, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री गौतम सन्याल, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री एस. के. लौहानी, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री एस. एस. चाहल, उप-सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लेखापरीक्षक :

रावला एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
504, सूर्या किरण,
19 कस्तूबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

बैंकर :

पंजाब नेशनल बैंक
गुलमोहर इन्केलव,
नई दिल्ली-110049

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :

पंचशील भवन
अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110049
फोन : 26497131, 26497132
फैक्स : 26497134

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN :

Shri P.I. Suvrathan,
Secretary to the Government of India (GOI),
Ministry of Food Processing Industries (MFPI)

DIRECTORS :

Shri Ajit Kumar, Joint Secretary, MFPI
Shri Goutam Sanyal, Joint Secretary, MFPI
Shri S.K.Lohani, Director, MFPI
Shri S S Chahal, Deputy Secretary, MFPI

AUDITORS :

Rawla & Company
Chartered Accountants
504, Surya Kiran
19 Kasturba Marg
New Delhi 110001

BANKERS :

Punjab National Bank
Gulmohar Enclave
New Delhi 110049

REGISTERED OFFICE :

Panchsheel Bhawan
August Kranti Marg
New Delhi 110 049
Phone No: 26497131, 26497132
Fax No: 26497134

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफटेम)

निदेशकों की रिपोर्ट

संस्थान के निदेशकों को 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कृत्यों की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट के साथ उस वर्ष के लिए लेखों की निरीक्षित लेखा विवरणियां एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

पृष्ठभूमि

किसानों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करने, रोजगार सृजन करने, अपशिष्ट में कमी करने तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि करने के लिए प्रसंस्करण के स्तर की वृद्धि और प्राथमिक कृषि उत्पादों के मूल्य में वर्धन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ प्रसंस्कृत खाद्य की लागत और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा का सुनिश्चय करना भी महत्वपूर्ण है ताकि वैश्विक बाजारों तक जहां पर अधिक मूल्य मिलता है और भारत को प्रतिस्पर्धी बढत प्राप्त है, तक पहुंच का सुनिश्चय किया जा सके।

इसके अलावा, खाद्य मानकों का निर्धारण और विश्वसनीय परीक्षण गंभीर लोकहित का विषय बन गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी संस्थागत क्षमताओं का विकास किया जाए जो ऐसे विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकीविदों को प्रशिक्षित और तैयार कर सकें जो अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान, नए उत्पाद तैयार और खाद्य मानक निर्धारित कर सकें और खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन और उद्यमशीलता में उद्यमियों और प्रबंधकों को प्रशिक्षित कर सकें।

खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्यमान संस्थानों के जनादेश और गतिविधियों की विस्तृत पुनरीक्षा की गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को समर्थन देने, विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीविद तैयार करने, विश्व बाजार के अनुरूप मानक तैयार करने, अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने तथा अपेक्षित नीति तथा विनियामक रूपरेखा तैयार करने में मार्गदर्शन और सहायता करने के वास्ते और अधिक विश्वस्तरीय संस्थानों की जरूरत है ताकि एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढावा दिया जा सके। जिससे स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी खाद्य संस्करण क्षेत्र का संवर्धन किया जा सके। इन गतिविधियों को आगे ले जाने के लिए विद्यमान संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग और जानकारी को बांटने की तथा विश्व स्तर के जानकारी केन्द्र को स्थापित

करने की त्वरित आवश्यकता अनुभव की गई ताकि देश में खाद्य प्रसंस्करण को बढावा दिया जाए।

वित्त मंत्री ने 28 फरवरी, 2006 के अपने बजट भाषण में सरकार की राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफटेम), गठित करने की मंशा की घोषणा की थी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 31.08.2006 को आयोजित अपनी बैठक में कुडली, जिला सोनीपत, हरियाणा में 244.6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जिसमें 8.10 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा सम्मिलित है, "निफटेम" स्थापित करने का और निम्नलिखित जनादेश के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन संस्थान को रजिस्टर करने का अनुमोदन कर दिया था :

- देश में और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में स्थित विद्यमान संस्थानों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग का संवर्धन करना, घरेलू संस्थानों का एक पूर्ण डाटाबेस तैयार करना और खाद्य संस्करण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को लाना।
- इस क्षेत्र से संबंधित विदांचों में अग्रणी और अंतरविषयी अनुसंधान हाथ में लेना।
- खाद्य उत्पादों के परीक्षण के लिए मानक के साथ-साथ प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए सहयोग करना।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास संसाधन तैयार करने के वास्ते, नियमित डिग्री और प्रबंधन पाठ्यक्रम जिनमें आगे पी.एच.डी. कार्यक्रम भी हैं, समेत उद्योग अनुकूल लघु अवधि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना।
- पूर्वोक्त क्षेत्रों में क्षमता का विकास करके सरकार को नीति विरचित करने और विनियामक फ्रेमवर्क बनाने में सहायता देना।
- सभी पणधारियों अर्थात उद्योग, सरकार और उपभोगताओं के साथ विचार-विमर्श और कार्य करना ताकि आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से संगत बने रहें तथा स्वस्थ और आधुनिक तरीकों से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि का मार्गदर्शन कर सकें।

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

DIRECTORS' REPORT

The Directors of the Institute have the pleasure in presenting the 1st Annual Report on the working of the company for the financial year ended 31st March, 2008, together with the Audited Statement of Accounts for the year and the Auditors' Report thereon.

BACKGROUND

Quantum increase in the level of processing and value addition of primary agricultural produce is of critical importance in providing remunerative prices to farmers, generating employment, reducing wastages and promoting overall growth of the national economy. It is equally important to ensure cost and quality competitiveness of processed food so as to facilitate access to global markets where price realization is higher and India has a comparative advantage.

Moreover, setting food standards and reliable testing has become a matter of serious public concern. It is, therefore, necessary to develop institutional capability to train and develop world class technologists who could do research in frontier areas, develop new products, set food standards and train entrepreneurs and managers in food technology, management and entrepreneurship.

A detailed review was undertaken of the mandate and activities of the existing institutions in the area of food processing and technology. This clearly established that there is need for more world class institutions to support the impending changes in the food processing sector, to develop the technologies in various areas, to evolve standards to facilitate integration with world markets, to make available trained personnel in required numbers and to guide and assist the development of the required policy and regulatory framework so as to promote a healthy and competitive food processing sector. For these activities to be taken forward, an imperative need was felt for networking and knowledge sharing amongst existing institutions

and establishing a world-class knowledge centre to give a push to food processing in the country.

Finance Minister in his Budget Speech on 28th February, 2006 announced the intention of Government to set up National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM). The Cabinet Committee on Economic Affairs, in its meeting held on 31.08.2006, approved setting up of NIFTEM at Kundli, Dist. Sonapat, Haryana, at an estimated cost of Rs. 244.6 crore including a foreign exchange component of US \$ 8.10 million and to register the Institute as a Section 25 Company under the Companies Act, 1956 with the following mandate.

- Promote cooperation and networking amongst existing institutions both within the country and international bodies, create a complete database on domestic resources and bring in international best practices for improving the food processing sector
- Undertake frontier and inter disciplinary research in areas of relevance to the sector
- Cooperate in setting standards as well as protocols for testing of food products
- Provide industry friendly short-term courses, including regular degree and management courses leading upto Ph.D. programmes for developing HRD resources for the food processing sector
- With capacities developed in the aforesaid areas, assist Government in policy formation and regulatory framework
- To interact and work with all stakeholders, namely, industry, Government and consumers so as to remain economically viable and socially relevant and guide the growth of the food processing sector along healthy and modern lines.

परियोजना कार्यान्वयन स्थिति

निगमन

संस्थान को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन 07.08.2007 को "लाभ के लिए नहीं" के रूप में निगमित किया गया है ।

भूमि

कुंडली, जिला सोनीपत, हरियाणा, में 31.37 करोड़ रुपए की लागत से हरियाण राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड से 100 एकड़ भूमि अर्जित की गई है । 10.08.2007 को भूमि का अधिपत्य ग्रहण किया गया था । इस स्थल का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रेष्ठ स्थल है, यह प्रस्तावित पश्चिम पेरेफेरि एक्सप्रेस वे के समीप है और यह एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर और राई में प्रस्तावित मेगा खाद्य पार्क के बीच स्थित है ।

शिलान्यास

"निफ्टेम" परिसर का शिलान्यास 07.10.2007 को किया गया था ।



"निफ्टेम" परिसर का निर्माण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने "निफ्टेम" परिसर के डिजाइन, अभिन्यास और निर्माण का कार्य भारत सरकार के एक उद्यम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा है । "निफ्टेम" और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 31.10.2007 को हस्ताक्षर किए गए । भवन और अन्य

अवसंरचना को जून, 2009 तक पूरा कर लिया जाना है । राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने दीवार के और संस्थान के भवनों के निर्माण के लिए संविधाएं प्रदान कर दी हैं और कार्य प्रगति पर है ।



जानकारी बांटने वाला भागीदार

"निफ्टेम" ने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड लाइफ साइंस, कार्नेल यूनिवर्सिटी (सीएएलएस), जो कि कृषि और खाद्य अनुसंधान तथा शिक्षा में विश्व में अग्रणी है के साथ कार्नेल शतगुरु विकास संस्थापन, हैदराबाद के माध्यम से 08.01.2008 को सुविधाओं के डिजाइन, पाठ्यक्रम सामग्री, संकाय प्रशिक्षण और इंटरनशिप, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक संरचना तैयार करने, बौद्धिक सम्पदा का विकास और प्रौद्योगिकी अंतरण नीति तथा प्रौद्योगिकी अंतरण और उद्यम विकास के लिए सामरिक योजना, शिक्षा प्रदान करने और खाद्य उद्यम इन्क्यूबेटर के लिए प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिए जानकारी बांटने की भागीदारी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ।

PROJECT IMPLEMENTATION STATUS

Incorporation

The institute has been incorporated as a 'not for profit' Company under Section 25 of the Companies Act, 1956 on 07.08.2007.

Land

100 acres of land at a cost of Rs. 31.37 crore has been acquired from Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd (HSIIDC) at Kundli, District-Sonepat, Haryana. The possession of the land was taken on 10.08.2007. The site was selected due to excellent location on National Highway-I, close to the proposed Western Peripheral Express Way, location between Asia's largest fruits & vegetable mandi at Azadpur and the proposed Mega Food Park at Rai.

Foundation Stone

The foundation stone of NIFTEM campus was laid on 07.10.2007.



Construction of NIFTEM Campus

The Ministry of Food Processing Industries assigned the work for design, architecture and construction of NIFTEM campus to National Buildings Construction Corporation Limited (NBCC), a Government of India Enterprise. A Memorandum of Understanding (MOU) was signed between NIFTEM and NBCC on 31.10.2007. The building and other infrastructure is to be completed by June 2009. NBCC has since given contracts

for construction of boundary wall and institutional buildings and the work is under progress.



Knowledge Sharing Partner

NIFTEM has signed an agreement with College of Agriculture and Life Sciences at Cornell University (CALs), a global leader in agriculture and food research and education, through Cornell Sathguru Foundation for Development, Hyderabad on 08.01.2008 for knowledge sharing partnership for design of facilities, course curricula, faculty training and internship, developing a strategic framework for nurturing research, development of intellectual property and technology transfer policy and strategic plan for technology transfer and enterprise development, training centre for continuing education and design of food enterprise incubator.

तृतीय पक्ष निरीक्षण

भारत सरकार के एक उद्यम मैसर्स राइट्स लिमिटेड को निर्माण की गुणवत्ता का सुनिश्चय करने, व्ययों के विवरण का प्रमाणन करने, उच्च मूल्य की मदों के सत्यापन और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा कार्य आदि की गुणवत्ता की जांच करने के लिए लगाई गई प्रणाली का सत्यापन करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण अभिकरण के रूप में नियोजित किया गया है। उनके साथ इस संबंध में 15.01.2008 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यालय आवास का किराए पर लेना

“निफ्टेम” ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नजदीक एसोसिएशन ऑफ म्यूनिस्पलटीज़ एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ (एएमडीए) भवन, 7/6, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अग्रस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 के परिसर में तीसरी मंजिल में 17.03.2008 से दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् कुंडली में “निफ्टेम” परिसर का निर्माण पूरा होने तक, कार्यालय स्थान किराए पर लिया है।

कानूनी अनापत्ति

पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त कर ली गई है।

सेवा नियमों और वित्तीय नियमों आदि की विरचना

प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित नीतियां, प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, की एक स्वायत्त संस्था कंस्ट्रैन्सी डेवलपमेंट सेंटर (सीडीसी) को सौंप दिया गया है।

कार्यनिष्पादन विशिष्टताएं

संस्थान अभी निर्माण के प्रक्रम पर है। “निफ्टेम” ने भारतीय गुणवत्ता परिषद् के सहयोग से “फ्यूचर विस्टा ऑन फूड सेफ्टी” पर 5 से 8 सितम्बर, 2007 को हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में एक चार दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का निर्माण करने के लिए अपेक्षित सभी संघटकों पर विचार-विमर्श करना था। पणधारियों के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सहभागियों ने बड़ी संख्या में कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ माननीय

श्री सुबोध कांत सहाय, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किया।

कार्यकारी परिणाम

संस्थान की समग्र आय बैंक में फ्लैक्सी खाते और लघु अवधि जमा पर मिलने वाले 11,80,571 रुपए के बैंक ब्याज के रूप में हुई है।

विदेशी मुद्रा आय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की आय अथवा व्यय कुछ नहीं था।

मानव संसाधन

वर्ष के दौरान कोई कर्मचारी नहीं था और संस्थान के कार्यों का संचालन पदेन निदेशकों जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं द्वारा, मंत्रालय द्वारा तैनात सहायक कर्मचारीबृंद और बाहरी पेशेवरों की सहायता से किया गया। इसलिए रिपोर्ट के अधीन वर्ष के लिए 24 लाख रुपए से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कोई कर्मचारी नहीं थे जिसके लिए कंपनी (कर्मचारी विशिष्टियां) नियम 1975 के साथ पठित धारा 217 (2क) के उपबंधों के अनुसार प्रकटन अपेक्षित है।

प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकरण और अभिनव परिवर्तन

कंपनी ने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड लाईफ साइंसेस एट कार्नेल यूनिवर्सिटी (सीएएलएस) के काउंटर पार्ट कार्नेल शतगुरु विकास संस्थापन के साथ 30 महीनों की अवधि के लिए “निफ्टेम” की गतिविधियों को शुरू करने तथा निष्पादित करने और सामरिक योजना बनाने के लिए 08.01.2008 को एक समझौता निष्पादित किया। वर्ष के दौरान “निफ्टेम” के साथ परामर्श से संस्थापन ने अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दिया था परंतु समझौते के अधीन सेवाएं अगले वित्तीय वर्ष में ही शुरू हो सकीं।

राजभाषा का कार्यान्वयन

इस समय संस्थान में कोई कर्मचारी नहीं है। तथापि संस्थान कार्यालय में भारत सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेगा। कर्मचारियों को दैनिक सरकारी कार्य में अपने हिन्दी के ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी मानक प्रारूप, फाइलें आदि द्विभाषिक रूप में तैयार की जाएंगी।

Third Party Inspection

M/s RITES Ltd, a Government of India Enterprise, has been engaged as a Third Party Inspecting Agency for the project to ensure quality of construction, certification of statement of expenditure, verification of high value items and verification of the system put in place by NBCC for checking quality of the work, etc. An agreement has been signed with them in this regard on 15.01.2008.

Hiring of Office Accommodation

NIFTEM has hired office space at 3rd floor in the premises of the Association of Municipalities and Development Authorities (AMDA) Building, 7/6, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110049, close to Ministry of Food Processing Industries, for a period of 2 years w.e.f. 17.03.2008, till the construction of NIFTEM campus at Kundli is completed.

Statutory Clearances

Environment and Pollution Control clearances have been obtained from the respective concerned authorities.

Framing of Service Rules and Financial Rules etc.

The work for preparation of policies, procedures and related documents pertaining to administrative services has been assigned to Consultancy Development Centre (CDC), an autonomous institution of the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

The Institute is in construction stage. NIFTEM organized a four day workshop in collaboration with Quality Council of India on "Future Vista on Food Safety" from 5th to 8th September 2007 at Habitat Centre, New Delhi with an objective to discuss all the components required to be addressed for building up a competitive domestic food processing sector for national and international markets. A large number of participants representing a wide spectrum of stakeholders participated in the workshop. The workshop was inaugurated by Shri Subodh Kant Sahai, Hon'ble Minister of State

(Independent charge) for Food Processing Industries.

WORKING RESULTS

The gross income of the institute constitutes only bank interest on flexi account and short term deposits with the bank amounting to Rs.11,80,571/-.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS

There was no foreign exchange earning or expenditure during the year.

HUMAN RESOURCE

There were no employees during the year and the affairs of the Institute were managed by the ex officio Directors who are all senior officers of the Ministry of Food Processing Industries with the supporting staff posted by the Ministry and outsourced professionals. Therefore, during the year under report, there were no employees receiving remuneration of or in excess of Rs.24 lakh, requiring disclosure as per the Provisions of Section 217(2A) read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

TECHNOLOGY ABSORPTION, ADAPTATION AND INNOVATION

The company has executed an Agreement on 08.01.2008 with Cornell-Sathguru Foundation for Development, counter part of College of Agriculture and Life Sciences at Cornell University (CALS) for strategic planning, execution and commencement of NIFTEM activities, over an initial period of thirty months. During the year the Foundation had finalized its plans in consultation with NIFTEM but services under the Agreement commenced only in the next financial year.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

At present there are no employees in the Institute. The Institute shall, however, make all efforts to fulfil the targets prescribed by Government of India in the Official Language Act and Rules framed thereunder with regard to use of Hindi Rajbhasha in office. Employees will be motivated to use their working knowledge of Hindi in day-to-day official work. All the Standard Forms, Files, etc shall be prepared bilingually.

निदेशक दायित्व विवरण

आपके निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि :

- 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लेखे तैयार करने में सभी लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है और उनसे कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं किया गया है ।
- यह कि निदेशकों ने लेखांकन नीतियों को चयन किया है और उनका प्रयोग किया है और ऐसा निर्णय और आंकलन किए हैं जो युक्तियुक्त और बुद्धिपरक हैं ताकि वर्ष के अंत में उस अवधि के लिए कंपनी के कार्यों की और आय और व्यय की एक सही और उचित तस्वीर प्राप्त हो ।
- कंपनी की आस्तियों के लिए सुरक्षोपाय करने और कपट का पता लगाने और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेख बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई है ।
- 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लेखे सतत आधार पर हैं ।

अनुपालन प्रमाण-पत्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 383क(1) के परंतुक के अधीन अपेक्षित अनुपालन प्रमाण-पत्र संलग्न हैं ।

सतर्कता

संस्थान का प्रबंधन 5 पदेन निदेशकों जो मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जा रहा है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सतर्कता प्रभार के अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है । मंत्रालय ने मंत्रालय के दो अधिकारियों की "निपटेम" के कार्य को करने के लिए, जब तक कि नियमित कार्मिकों की नियुक्ति नहीं कर ली जाती है, तैनाती

की है । यह अधिकारी भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग के अधिकार क्षेत्र के अधीन आते हैं । "निपटेम" द्वारा अपने कार्मिकों की नियुक्ति कर लेने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के सदृश यहां सतर्कता प्रभाग बना लिया जाएगा ।

लेखापरीक्षक

भारत के महालेखा नियंत्रण और परीक्षक आपकी कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं । मैसर्स रावला एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2007-08 के लिए कानूनी लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है । भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक ने प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-4, नई दिल्ली को अनुपूरक लेखापरीक्षा का कार्य भी सौंपा था ।

लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कानूनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट बिना किसी शर्त के थी । भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर टिप्पणियां और उन पर कंपनी का प्रत्युत्तर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है और स्वयं स्पष्टीकारक है ।

आभार

निदेशक, भारत सरकार से, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से प्राप्त सहयोग पर गहन आभार प्रकट करते हैं । निदेशक, भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक, लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, कानूनी लेखापरीक्षकों और संस्थान के बैंकरों के मूल्यवान सहयोग के लिए भी आभारी हैं । निदेशक, "निपटेम" के सभी स्तरों पर कार्य को करने के लिए तैनात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किए गए अनथक प्रयासों और सहयोग की भी प्रशंसा करते हैं ।

कृते और निमित्त निदेशक बोर्ड

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 12.09.2008

ह0/
गौतम सन्याल
निदेशक

ह0/
एस.एस. चहल
निदेशक

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors confirm

- That in the preparation of accounts for the period ended March 31, 2008, the applicable Accounting Standards had been followed and there are no material departures.
- That the directors had selected accounting policies and applied them and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the year end and income and expenditure of the Company for that period.
- That proper and sufficient care has been taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That the accounts for the period ended March 31, 2008 is on a going concern basis.

COMPLIANCE CERTIFICATE

The Compliance Certificate as required under proviso to Section 383A (1) of the Companies Act, 1956 is attached.

VIGILANCE

The Institute is being managed by the Board of Directors consisting of five *ex officio* Directors who are senior Officers of the Ministry and come under the purview of Vigilance Division of the Ministry of Food Processing Industries. The Ministry has also posted two officers of the Ministry to attend to the work of NIFTEM till regular

personnel are appointed. These officers also come under the purview of the Vigilance Division of MFPI. As and when NIFTEM appoints its own personnel, a Vigilance Division on the lines of PSU/ Government aided Institutions shall be put in place.

AUDITORS

The Comptroller & Auditor General of India appoints the Statutory Auditors of your company. M/s Rawla & Company, Chartered Accountants, New Delhi was appointed as Statutory Auditors for the financial year 2007-08. The CAG had also assigned Supplementary Audit to the Principal Director of Commercial Audit and *ex officio* Member of the Audit Board-IV, New Delhi.

AUDITORS' REMARKS

The report of the Statutory Auditors was without any qualification. The remarks of the CAG u/s 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of the company for the year ended 31st March 2008 and the company's reply thereto are appended to the Annual Report and are self-explanatory.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors acknowledge with deep sense of appreciation the co-operation received from the Government of India, particularly the Ministry of Food Processing Industries. The Directors are also grateful to the Comptroller and Auditor General of India, the Chairman and Member of the Audit Board, Statutory Auditors and the Bankers of the Institute for their valued cooperation. The Board also places on record the appreciation for the untiring efforts and contributions made by the officers of MFPI deputed to look after the work of NIFTEM at all levels.

for and on behalf of the Board of Directors

New Delhi
Dated: 12.09.2008

Sd/-
Goutam Sanyal
Director

Sd/-
S S Chahal
Director

एम.वी. श्रीनिवास

कंपनी सचिव

"वैकुंठम", सी-3/48, जनकपुरी,

नई दिल्ली-110 058

टेलीफोन : 41576506/3293 0678

ई-मेल : sree29@gmail.com

सचिवीय अनुपालना प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रेशन सं० 55-166 745

प्राधिकृत पूंजी : 160 करोड़ रुपए

संदत्त पूंजी : 31 करोड़ रुपए

सेवा में,

सदस्य

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान,

खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,

पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग,

नई दिल्ली-110049

हमने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) तथा उसके तदधीन बनाए गए नियमों और कंपनी के संगम ज्ञापन में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा भी यथाअपेक्षित 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रजिस्ट्रारों, अभिलेखों, बहियों और कागजातों की जांच कर ली है। मेरी राय में और मरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मेरे द्वारा की गई जांच के अनुसार और कंपनी, उसके अधिकारियों/अभिकर्ताओं द्वारा मुझे प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष के लिए :

1. इस प्रमाणपत्र के लिए उपाबंध "क" में कथित सभी रजिस्ट्रारों को अधिनियम और उसके तदधीन बनाने गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा रखा गया है तथा उनमें सभी प्रविष्टियों को सम्यक्तः अभिलिखित किया गया है।
2. इस प्रमाण-पत्र के लिए उपाबंध "ख" में कथित सभी प्रारूपों और विवरणियों को अधिनियम के अधीन तथा उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया गया है।
3. कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित कंपनी है जिसका संवर्धन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है के पास न्यूनतम संदत्त पूंजी है और कथित वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति और सरकार के 4 नामनिर्देशितियों से मिलकर उसके अधिकतम सदस्य 5 रहे : और
 - उसने शेयरों और डिबेंचरों में अंशदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया है; और
 - उसने जनता से कोई निक्षेप आमंत्रित या स्वीकार नहीं किया है।
4. निदेशक बोर्ड ने क्रमशः 03.09.2007, 26.10.2007, 21.11.2007 और 11.03.2008 को सम्यक्तः 4 बार बैठकें की जिनके संबंध में समुचित सूचना दी गई और कार्यवाहियों को समुचित रूप से इस निमित्त रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित और हस्ताक्षरित किया गया।
5. वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने सदस्यों के रजिस्टर को बंद करना अपेक्षित नहीं था।
6. 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए होने वाली कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक कंपनी की पहली वार्षिक बैठक होगी क्योंकि कंपनी को 07.08.2007 को निगमित किया गया था।

M.V. SREENIVAS
COMPANY SECRETARY
"Vaikuntam", C-3/48, Janak Puri,
New Delhi-110 058
Tel: 41576506/3293 0678
E-mail sree29@gmail.com

SECRETARIAL COMPLIANCE CERTIFICATE

Registration No. 55 -166 745

Authorised Capital:Rs 160 Crores
Paid up Capital: Rs 31 Crores

To

The Members
National Institute of Food Technology Entrepreneurship & Management
Ministry of Food Processing Industries
Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg
New Delhi-110 049

I have examined the registers, records, books and papers of National Institute of Food Technology Entrepreneurship & Management as required to be maintained under the Companies Act, 1956 (the Act) and the rules made there under and also the provisions contained in the Memorandum and Articles of Association of the Company for the financial year ended on 31st March 2008. In my opinion and to the best of my information and according to the examinations carried out by me and explanations furnished to me by the company, its officers and agents I certify that in respect of the aforesaid financial year:

1. The company has kept and maintained all registers as stated in Annexure 'A' to this certificate, as per the provisions of the Act and the rules made there under and all entries therein have been duly recorded.
2. The company has duly filed the forms and returns as stated in Annexure 'B' to this certificate, with the Registrar of Companies under the Act and the rules made there under.
3. The company, being a private limited company incorporated under section 25 of the Companies Act, 1956 promoted by Ministry of Food Processing Industries has the minimum prescribed paid up capital and its maximum number of members during the said financial year was 5 (Five) comprising of the President of India and four Government Nominees and :
 - Has not invited public to subscribe for its shares or debentures; and
 - Has not invited or accepted any deposits from Public.
4. The Board of Directors duly met Four (4) times respectively on, 03-09-2007 / 26-10-2007 / 21-11-2007 and 11-03-2008 in respect of which meetings proper notices were given and the proceedings were properly recorded and signed in the Minutes Book maintained for the purpose.
5. The company was not required to close its Register of Members during the financial year.
6. The ensuing annual general meeting for the financial year ended on 31st March 2008 would be its First Annual General Meeting since the company was incorporated on 07-08-2007.

7. वित्त वर्ष के दौरान समुचित सूचना देकर एक असाधारण सामान्य बैठक की गई जिसके कार्यवृत्त को सम्यक्तः अभिलिखित और हस्ताक्षरित किया गया ।
8. वित्त वर्ष के दौरान कंपनी पर अधिनियम की धारा 295 के उपबंध लागू नहीं थे ।
9. कंपनी अधिनियम की धारा 297 के कार्यक्षेत्र में आने वाली किसी संविदा में प्रविष्ट नहीं हुई है ।
10. कंपनी से अधिनियम की धारा 301 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में कोई प्रविष्ट करने की अपेक्षा नहीं थी ।
11. चूंकि अधिनियम की धारा 314 के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई दृष्टांत नहीं था, कंपनी से यथास्थिति निदेशक बोर्ड, सदस्यों या केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी ।
12. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई अनुलिपि प्रमाण-पत्र नहीं जारी किए ।
13. कंपनी ने –
 - भारत के राष्ट्रपति को 1,50,00,000 साम्य शेयरों का आबंटन किया था जोकि, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार था और सम्यक्तः विवरणी भी भेजी गई ।
 - कंपनी ने किसी पृथक बैंक खाते में कोई धनराशि जमा नहीं की चूंकि वित्त वर्ष के दौरान कोई लाभांश नहीं हुआ ।
 - चूंकि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था इसलिए कंपनी के किसी सदस्य को वारंट नहीं भेजा गया है ।
 - अधिनियम की धारा 217 की सभी अपेक्षाओं को सम्यक्तः पूरा किया ।
14. कंपनी के निदेशक बोर्ड का सम्यक्तः गठन किया गया । वित्त वर्ष के दौरान हुई आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशकों, विकल्पी निदेशकों या निदेशकों की कोई नियुक्ति नहीं की गई ।
15. अन्यत्र कथित अनुसार कंपनी धारा 25 के अधीन एक सरकारी कंपनी है और रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान किसी प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की कोई नियुक्ति नहीं की गई ।
16. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान किसी एकछत्र विक्रय अभिकर्ताओं की कोई नियुक्ति नहीं की है ।
17. कंपनी ने क्षेत्रीय निदेशक से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है और इसके अतिरिक्त इसे केन्द्रीय सरकार, कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी रजिस्ट्रार या इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन विहित ऐसे अन्य प्राधिकारियों से कोई अनुमोदन अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है ।
18. निदेशकों ने, अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में अन्य फर्मों/कंपनियों में अपने हित को निदेशक बोर्ड को प्रकटन कर दिया है ।
19. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान क्रम संख्यांक 13 पर वर्णित के सिवाए कोई शेयर, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूति जारी नहीं की हैं ।
20. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान किन्हीं शेयरों को वापस नहीं खरीदा है ।
21. वित्त वर्ष के दौरान किन्हीं अधिमानी शेयरों या डिबेंचरों (उपरोक्त क्रम संख्या 19 को निर्दिष्ट करें) का उन्मोचन नहीं किया गया है ।

7. One Extra-Ordinary General Meeting was held during the financial year after giving proper notice and minutes having duly been recorded and signed.
8. The provisions of section 295 of the Act were not applicable to the Company during the financial year.
9. The Company has not entered into any contracts falling within the purview of Section 297 of the Act.
10. The company was not required to make any entries in the register maintained under section 301 of the Act.
11. As there were no instances falling within the purview of Section 314 of the Act, the company was not required to seek any approvals from the Board of Directors, Members or Central Government, as the case may be.
12. The company has not issued any duplicate certificates during the financial year.
13. The company
 - Did make allotment of 1, 50, 00, 000 equity shares to the President of India which was effected in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and return duly filed.
 - Has not deposited any amount in a separate Bank Account as no dividend was declared during the financial year.
 - Has not posted warrants to any members of the Company as no dividend was declared during the financial year.
 - Duly complied with the requirements of section 217 of the Act.
14. The Board of Directors of the company is duly constituted. There was no appointment of additional directors, alternate directors or directors to fill the casual vacancies have been made during the financial year.
15. The Company is a Section 25 Government Company as stated elsewhere and there was no appointment of managing director/whole time director or manager during the year under report.
16. The company has not appointed any sole selling agents during the financial year.
17. The company obtained a License under Section 25 of the Companies Act, 1956 from the Regional Director and besides that it was not required to obtain any approvals of the Central Government, Company Law Board, Registrar of Companies or such other authorities as prescribed under the various provisions of the Act.
18. The directors have disclosed their interest in other firms/companies to the Board of Directors pursuant to the provisions of the Act and the rules made there under.
19. The company has not issued any shares other than as mentioned at SI No. 13 above, debentures or other securities during the financial year.
20. The company has not bought back any shares during the financial year.
21. There was no redemption of preference shares or debentures during the financial year(ref SI. No.19 above)

22. ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया जिससे कंपनी को लाभांशों, राइट शेयरों और बोनस शेयरों को शेयरों के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के लंबित रहने के कारण आस्थगन में रखना आवश्यक हुआ हो ।
23. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान धारा 58क के कार्यक्षेत्र में आने वाले किन्हीं निक्षेपों जिसमें अप्रत्याभूत ऋण हैं को आमंत्रित नहीं किया है ।
24. कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 293 (1) (घ) के उपबंधों को आकृष्ट नहीं करती है ।
25. कंपनी ने अन्य निगमित निकायों को कोई उधार नहीं दिया है और निवेश नहीं किया है या कोई प्रतिभूति नहीं दी है या प्रतिभूतियों का उपबंध नहीं किया है और परिणामस्वरूप इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है ।
26. कंपनी ने कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।
27. कंपनी ने कंपनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में संवीक्षाधीन वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।
28. कंपनी ने कंपनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में संवीक्षाधीन वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।
29. कंपनी ने कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में संवीक्षाधीन वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।
30. कंपनी ने वित्त वर्ष संगम ज्ञापन में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।
31. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कोई अभियोजन न ही शुरू किया और न ही कंपनी के विरुद्ध शुरू हुआ या कोई कारण बताओं नोटिस कंपनी ने अभिप्राप्त किया ।
32. कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों से सिक्यूरिटी के रूप में कोई धन अभिप्राप्त नहीं किया ।
33. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं हुए ।

ह0 /

सी एस एम वी श्रीनिवास

एफसीएस-2342

सी पी सं0 2771

नई दिल्ली

22. There were no transactions necessitating the company to keep in abeyance the rights to dividends, rights shares and bonus shares pending registration of transfer of shares.
23. The company has not invited / accepted any deposits including any unsecured loans falling within the purview of Section 58A during the financial year.
24. Company being a private Company does not attract provisions of section 293(1)(d) of the Act.
25. The company has not made any loans and investments or given guarantees or provided securities to the other bodies corporate and consequently no entries have been made in the register kept for the purpose.
26. The company did not alter the provisions of the memorandum with respect to situation of the company's registered office.
27. The company has not altered the provisions of the memorandum with respect to the objects of the company during the year under scrutiny.
28. The company has not altered the provisions of the memorandum with respect to the name of the company during the year under scrutiny.
29. The company has not altered the provisions of the memorandum with respect to the share capital of the company during the year under scrutiny.
30. The company has not altered its articles of association during the financial year.
31. There was / were no prosecution initiated against or show cause notices received by the company, during the financial year, for offences under the Act.
32. The company has not received any money as security from its employees during the financial year.
33. The Provisions of Employees Provident Fund Act and Employees State Insurance Act were not applicable to the Company during the year under report.

Sd/-

C S M V Sreenivas

FCS-2342

C.P.No.2771

New Delhi

**राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता
और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)**

सं०	रजिस्ट्रों की विशिष्टियां	लागू धारा/उपबंध	प्रास्थिति	क्या समय पर प्रविष्टि की गई है या नहीं
1.	कंपनी के स्वयं के नाम से भिन्न धृत नामों में विनिधानों का रजिस्टर	[धारा 49(7)]	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	वापस ली गई प्रतिभूतियों का रजिस्टर	[धारा 77क(9)]	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	कंपनी द्वारा सृजित प्रभारों के विलेख की प्रतियां	[धारा 136]	अपेक्षित नहीं	लागू नहीं
4.	प्रभारों का रजिस्टर	[धारा 143]	रखे गए	लागू नहीं
5.	सदस्यों का रजिस्टर और सदस्यों का इन्डेक्स	[धारा 150] [धारा 151]	रखे गए रखे गए	हां हां
6.	डिबेंचर धारकों का रजिस्टर और इन्डेक्स	[धारा 152]	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	सदस्यों और डिबेंचर धारकों का विदेशी रजिस्टर	[धारा 157]	अपेक्षित नहीं	लागू नहीं
8.	उपरोक्त बिन्दु 6 पर कथित रजिस्टर की प्रति	[धारा 158(4)]	अपेक्षित नहीं	लागू नहीं
9.	वार्षिक विवरणियों की प्रतियों के साथ प्रमाणपत्रों और उनसे उपाबंध दस्तावेजों की प्रतियां	[धारा 163]	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	साधारण बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्त पुस्तिका	[धारा 193]	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	निदेशकों की बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्त पुस्तिका	[धारा 193]	रखे गए	हां
12.	लेखा बहियों जिनमें शाखा कार्यालयों के लेखे भी हैं और अन्य लागत अभिलेख यदि कोई हों	[धारा 209]	रखे गए	हां
13.	संविदाओं इत्यादि के रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध हों	[धारा 301]	रखे गए	लागू नहीं
14.	निदेशकों, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक और सचिव का रजिस्टर	[धारा 303]	रखे गए	हां
15.	निदेशकों की शेयर धुत्ति का रजिस्टर	[धारा 307]	रखे गए	हां
16.	विनिधानों या ऋणों, दी गई प्रतिभूतियों या दी गई सिक्कुरीटियों का रजिस्टर	[धारा 372क]	रखे गए	लागू नहीं
17.	कर्मचारियों, निक्षेपों और भविष्य निधि रकमों से संबंधित बैंक की रसीदें	[धारा 417, 418 एवं 419]	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	यथाअपेक्षित निक्षेपों का रजिस्टर	कंपनी (निक्षेपों को स्वीकार करना) नियम, 1975 का नियम 7	अपेक्षित नहीं	लागू नहीं
19.	नवीकृत और अनुलिपि प्रमाणपत्रों का रजिस्टर	कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र जारी करना) नियम, 1960 का नियम 7	रखे गए	लागू नहीं
20.	नष्ट किए गए दस्तावेजों का रजिस्टर	कंपनी (अभिलेखों का संरक्षण और निपटान) नियम, 1966 का नियम 4	अपेक्षित नहीं	लागू नहीं

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

No.	Particulars of Registers	Applicable section/provision	Status	Whether entry made in time or not
1.	Register of investments held in names other than the company's own name	[section 49(7)].	Not Applicable	NA
2.	Register of securities bought back	[section 77A(9)]	Not Applicable	NA
3.	Copies of instrument of charges created by the company	[section 136]	Not required	NA
4.	Register of charges	[section 143]	Maintained	NA
5.	Register of members and index of members	[section 150] [section 151]	Maintained Maintained	Yes Yes
6.	Register and index of debenture holders	[section 152]	NA	NA
7.	Foreign register of members and of debenture holders	[section 157]	Not required	NA
8.	Duplicate of register stated in the point 6 above	[section 158(4)]	Not required	NA
9.	Copies of annual returns together with copies of certificates and documents annexed thereto	[section 163]	N.A.	NA
10.	Books of minutes of proceedings of general meeting	[section 193]	N.A.	N.A.
11.	Books of minutes of proceedings of directors' meeting	[section 193]	Maintained	Yes
12.	Books of account including account of branch offices and other cost records, if any	[section 209]	Maintained	Yes
13.	Register of contracts etc. in which directors are interested	[section 301]	Maintained	NA
14.	Register of directors, managing director, manager and secretary	[section 303]	Maintained	Yes
15.	Register of directors' shareholding	[section 307]	Maintained	Yes
16.	Register of investments or loans, guarantee given or security provided	[section 372A]	Maintained	N.A.
17.	Bank receipts relating to employees' deposits and provident fund amounts	[section 417,418 and 419]	NA	N.A.
18.	Register of deposits as required	Rule 7 of the companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975.	Not required	NA
19.	Register of renewed and duplicate certificates	Rule 7 of the Companies (Issue of Share Certificates) Rules, 1960	Maintained	NA
20.	Register of documents destroyed	Rule 4 of the Companies (Preservation and Disposal of Records) Rules, 1966.	Not required	NA

**राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता
और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)**

क्रम सं०	दस्तावेजों के ब्यौरे	धारा जिसके अधीन दर्ज किया गया	विवरणी संख्या और प्रस्तुत करने की तारीख	क्या विहित समय के भीतर प्रस्तुत की गई	अतिरिक्त फीस के ब्यौरे, यदि कोई हों
1.	प्रारूप 1,18,32	निगमन के लिए दस्तावेज		हां	शून्य
2.	प्रारूप 24क	धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्ति	एसआरएन ए14935373 तारीख 17.5.2007	हां	शून्य
3.	प्रारूप 2	आवंटन की विवरणी	एसआरएन ए23427388 तारीख 1.10.2007	हां	शून्य

उन दस्तावेजों के ब्यौरे जो अभी भरे जाने हैं

क्रम सं०	दस्तावेजों के ब्यौरे	धारा जिसके अधीन भरा जाना है	कारोबार के ब्यौरे	भरे नहीं जाने के कारण
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ह०/-

सी एस एम वी श्रीनिवास
एफसीएस-2342
सी पी सं० 2771

नई दिल्ली

**NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY
ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)**

Sl. No.	Details of documents	Filed under section	Rt. No. and Date of filing	Whether filed within prescribed time	Details of additional fee paid, if any.
1.	Form 1,18,32	Docs for incorporation		Yes	Nil
2.	Form 24A	U/s 25 Licence	SRN A14935373 Dt.17.5.2007	Yes	Nil
3.	Form 2	Return of allotment	SRN A234 27388 Dt:1.10.2007	Yes	Nil

Particulars of documents yet to be filed

Sl. No.	Details of documents	To be filed under section	Particulars of business	Reasons for non filing
	Nil	Nil	Nil	Nil

Sd/-

C S M V Sreenivas

FCS-2342

C.P.No.2771

New Delhi

रावला एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

504, सूर्या किरण, 19 कस्तूरबा गांधी मार्ग,

नई दिल्ली-110001

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान

1. हमने 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार उपगत अनुषंगिक व्ययों के विवरण के साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के उपाबंध तुलनपत्र की लेखापरीक्षा कर ली है। कोई आय और व्यय लेखा तैयार नहीं किया है क्योंकि कंपनी इस अवधि के दौरान अभी अपने निर्माण के चरण पर है। इन वित्तीय कथनों की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय कथनों पर अपनी राय व्यक्त करने तक है।
2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें की क्या वित्तीय कथन किसी तात्त्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं। किसी लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर उन साक्ष्यों की जांच करना है जिनके आधार पर रकमों का वित्तीय कथनों में प्रकटन किया गया है। किसी लेखापरीक्षा में लेखांकन सिद्धांतों का पता लगाना और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों की जांच के साथ-साथ प्रस्तुत संपूर्ण वित्तीय कथनों का मूल्यांकन करना भी है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।
3. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अंतर्गत जारी कंपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदेश, 2003 इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।
4. हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (i) हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं;
 - (ii) जहां तक इन बहियों की जांच से हमें प्रतीत होता है हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं;
 - (iii) इस रिपोर्ट द्वारा व्यौहार किया गया तुलनपत्र और अनुषंगिक व्यय का कथन लेखाबहियों के अनुसार है;
 - (iv) हमारी राय में तुलनपत्र और अनुषंगिक व्यय का कथन जिस पर इस रिपोर्ट द्वारा व्यौहार किया गया है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है;
 - (v) सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (छ) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829 (ई) के अनुसार लागू नहीं होता है;

Rawla & Company

Chartered Accountants

504, Surya Kiran, 19 Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110 001

AUDITORS REPORT

The Members,

National Institute of Food Technology Entrepreneurship & Management

1. We have audited the attached balance sheet of "National Institute of Food Technology Entrepreneurship & Management" as at 31st March, 2008 along with statement of incidental expenses incurred. No income & expenditure account has been prepared since the company is under construction stage during the period. These financial statements are the responsibility of the company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. Company is registered under section 25 of the Companies Act, 1956, thus Companies Auditor Report order 2003, issued by the Central Government of India in term of sub section (4A) of section 227 of the Companies Act 1956 is not applicable to this company.
4. We report that:
 - (i) We have obtained all the information and explanations, which to best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - (ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books;
 - (iii) The balance sheet and statement of incidental expenditure dealt with by this report are in agreement with books of account;
 - (iv) In our opinion, the balance sheet and statement of incidental expenditure dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of the section 211 of the Companies Act, 1956;
 - (v) Being the Government Company, clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956 is not applicable as per the notification no. GSR 829 (E) dated 21-10-2003 issued by Department of Company Affairs.

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, दिए गए टिप्पणों के साथ पठित उक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षा अनुसार सूचना यथापेक्षित रूप में प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की अनुपालन करते हुए सही और न्यायोचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं :

(क) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों के तुलनपत्र की दशा में; और

(ख) उक्त तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उपगत अनुषंगिक व्ययों के कथन की दशा में ।

कृते रावला एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह0 / -

सी.ए.आर.आर. गुप्ता
(भागीदार)

सदस्य सं0 81279

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 09.06.2008

- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the said accounts read together with the notes thereon, give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true & fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- a) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the company as at 31st March, 2008; and
 - b) in the case of the statement of incidental expenses, of the expenses incurred for the period ended on that date.

For Rawla & Company
Chartered Accountants

Sd/-
CA R. R. Gupta
(Partner)
M No.81279

New Delhi.
June 9, 2008

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

लेखे

तुलन-पत्र

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
(निगमन के पश्चात – पहला)

रकम (रुपए में)

विवरणियां	अनूसूची	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
निधियों के स्रोत		
शेयरधारियों की निधियां		
(क) शेयरपूंजी	1	310000000.00
(ख) शेयर अनुप्रयुक्त धन		176956990.00
जोड़		486956990.00
निधियों का अनुप्रयोजन		
अचल परिसंपत्तियां	2	
समग्र ब्लॉक		313965550.00
घटाएं : मूल्यहास		34608.00
निवल ब्लॉक		313930942.00
प्रगति पर पूंजी कार्य	3	5861258.00
निर्माण अवधि के दौरान अनुषंगिक व्यय (अनुप्रयोजन के लम्बन पर)		7907933.03
		327700133.03
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
हाथ और बैंक में रोकड़	4	107837965.97
ऋण और अग्रिम	5	45484680.00
		153322645.97
घटाएं :		
चालू दायित्व और उपबंध		
संदेय व्यय	6	103377.00
प्रतिभूति जमा	7	10000.00
		113377.00
निवल चालू परिसंपत्तियां		153209268.97
फुटकर व्यय (बट्टे खाते में नहीं डाली गई या समायोजित सीमा तक)	8	6047588.00
जोड़		486956990.00
लेखे का भाग बनने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियां		
हमारी समसंख्याक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार		
कृते रावला एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	कृते और निमित्त बोर्ड	
ह0/- सी.ए. आर.आर. गुप्ता (भागीदार) सदस्य सं0 81279	ह0/- (पी.आई. सुव्रतन) अध्यक्ष	ह0/- (गौतम सन्याल) निदेशक
		ह0/- (एस.एस. चहल) निदेशक
तारीख : 09.06.2008		
स्थान : नई दिल्ली		

**NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY
ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)**

ACCOUNTS

BALANCE SHEET

**AS AT 31ST MARCH, 2008
(First- Since Incorporation)**

Amount (In Rs.)

PARTICULARS	Schedule	As on 31.03.2008
SOURCES OF FUNDS		
Shareholders' Funds:		
a) Share Capital	1	31000000.00
b) Share Application Money		176956990.00
Total		486956990.00
APPLICATION OF FUNDS		
Fixed assets:		
Gross Block	2	313965550.00
Less: Depreciation		34608.00
Net Block		313930942.00
Capital Work in Progress	3	5861258.00
Incidental Expenditure Incurred during Construction Period (Pending Apportionment)		7907933.03
		327700133.03
Current assets, Loans & Advances:		
Cash in Hand and Bank	4	107837965.97
Loans and Advances	5	45484680.00
		153322645.97
Less:		
Current Liabilities & Provisions:		
Expenses Payable	6	103377.00
Security Deposit	7	10000.00
		113377.00
Net Current assets		153209268.97
Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off or adjusted)	8	6047588.00
Total		486956990.00
Significant Accounting Policies & Notes Forming Part of Accounts	10	
As per our report of even date		
for Rawla & Company Chartered Accountants		for and on behalf of the Board
Sd/- C.A R.R.GUPTA (Partner) M. No. 81279	Sd/- (P.I.Suvrathan) Chairman	Sd/- (Goutam Sanyal) Director
		Sd/- (S.S.Chahal) Director
Date : 09.06.2008		
Place : New Delhi		

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निर्माण
(उपायोजन के लंबित रहने पर) के दौरान अनुषंगिक व्ययों का ब्यौरा

ब्यौरे	अनुसूची	रकम (रुपए में)
		31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
व्यय		
अनुषंगिक व्यय	9	9053996.03
मूल्यहास	2	34608.00
		<u>9088604.03</u>
आय		
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के साथ अग्रिम को संचल करने पर आय		705471.00
बैंक से ब्याज		475200.00
		<u>1180671.00</u>
तुलन-पत्र में हस्तांतरित निवल अनुषंगिक व्यय		7907933.03
लेखे का भाग बनने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियां	10	

हमारी समसंख्याक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रावला एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते और निमित्त बोर्ड

ह0/-
सी.ए. आर.आर. गुप्ता
(भागीदार)

ह0/-
(पी.आई. सुव्रतन)
अध्यक्ष

ह0/-
(गौतम सन्याल)
निदेशक

ह0/-
(एस.एस. चहल)
निदेशक

सदस्य सं0 81279

तारीख : 09.06.2008

स्थान : नई दिल्ली

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

**Statement of Incidental Expenditure incurred during construction
(Pending apportionment) during the period ended on 31st March 2008**

PARTICULARS	Schedule	Amount (In Rs.) As on 31.03.2008
EXPENSES		
Incidental Expenses	9	9053996.03
Depreciation	2	34608.00
		9088604.03
INCOME		
Income on Mobilisation Advance with NBCC		705471.00
Interest from Bank		475200.00
		1180671.00
Net Incidental Expenses Transferred to Balance Sheet		7907933.03
Significant Accounting Policies & Notes Forming Part of Accounts	10	

As per our report of even date

for Rawla & Company
Chartered Accountants

for and on behalf of the Board

Sd/-
C.A R.R.GUPTA
(Partner)
M. No. 81279

Sd/-
(P.I.Suvrathan)
Chairman

Sd/-
(Goutam Sanyal)
Director

Sd/-
(S.S.Chahal)
Director

Date : 09.06.2008
Place : New Delhi

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता
और प्रबंधन संस्थान (निफटेम)

तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

रकम (रुपए में)

व्यौरे	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
अनुसूची : 1- "शेयर पूंजी"	
प्राधिकृत पूंजी -	
10/- रुपए प्रत्येक के 16,00,00,000 इक्विटी शेयर	1600000000.00
जारी की गई, अंशदान की और संदत्त पूंजी-	
10/- रुपए प्रत्येक के 3,10,00,000 इक्विटी शेयर	310000000.00
	310000000.00
अनुसूची : 3- "प्रगति पर पूंजी कार्य"	
शिलान्यास	786172.00
दीवार	3717358.00
भवन - पोर्टा केबिन	1189666.00
अन्य निर्माण कार्य	168062.00
	5861258.00
अनुसूची : 4- "हाथ और बैंक में रोकड़"	
हाथ में रोकड़	8884.00
अनुसूचित बैंक के पास शेष	
- चालू खाते में *	7549697.97
- स्थायी जमा	100000000.00
- उस पर लगा ब्याज	279384.00
- एफडीआर पर लगा ब्याज	107837965.97
* ऑटोस्विप सुविधा के साथ	
अनुसूची : 5- "ऋण और अग्रिम"	
(क) नियत पूंजी व्यय पर अग्रिम	
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के साथ अग्रिम को सचल करने पर आय	44764512.00
(ख) अन्य अग्रिम	
किराया प्रतिभूति	631197.00
यूएचबीवीएनएल के साथ प्रतिभूति जमा	40000.00
टीडीएस	48971.00
	45484680.00
अनुसूची : 6- "संदेय व्यय"	
कानूनी लेखापरीक्षकों की फीस	25197.00
आंतरिक लेखापरीक्षकों की फीस	30236.00
वाहन किराया	37283.00
कर्मचारीबुंद कल्याण	2416.00
इंटरनेट व्यय	1096.00
संदेय टीडीएस	7149.00
	103377.00

(शेष अगले पृष्ठ पर)

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

Schedules forming part of Balance Sheet

Particulars	Amount (In Rs.) As on 31.03.2008
<u>SCHEDULE: 1 - "SHARE CAPITAL"</u>	
<u>Authorised Capital -</u> 16,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each.	1600000000.00
<u>Issued, subscribed and paid up capital -</u> 3,10,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each.	310000000.00
	310000000.00
<u>SCHEDULE: 3 - "CAPITAL WORK IN PROGRESS"</u>	
Foundation Stone	786172.00
Bondary Wall	3717358.00
Building - Porta Cabin	1189666.00
Other Construction Works	168062.00
	5861258.00
<u>SCHEDULE: 4 - "CASH IN HAND AND BANK"</u>	
Cash in Hand	8884.00
<u>Balance with Scheduled Bank</u>	
- In Current account *	7549697.97
- Fixed Deposit	100000000.00
- Interest Accrued	279384.00
- Interest Accrued on FDR	107837965.97
* With Autosweep Facility	
<u>SCHEDULE: 5 - "LOANS AND ADVANCES"</u>	
a) <u>Advance for Fixed Capital Expenditure:</u> Balance in Mobilisation Advance with NBCC	44764512.00
b) <u>Other Advances:</u>	
Rent Security	631197.00
Security Deposit with UHBVNL	40000.00
TDS	48971.00
	45484680.00
<u>SCHEDULE: 6 - "EXPENSES PAYABLE"</u>	
Statutory Auditors' Fee	25197.00
Internal Auditors' Fee	30236.00
Vehicle Hiring	37283.00
Staff Welfare	2416.00
Internet Expenses	1096.00
TDS Payable	7149.00
	103377.00

(Contd.)

(..... जारी)

रकम (रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
अनुसूची : 7- "प्रतिभूति जमा"	
राइट्स से प्राप्त चेतावनी जमा	10000.00
	<hr/>
	10000.00
अनुसूची : 8- "फुटकर व्यय"	
प्रारंभिक व्यय	30501.00
आरंभिक व्यय	5482638.00
संवर्धन गतिविधियां	534449.00
	<hr/>
	6047588.00
अनुसूची : 9- "निर्माण के दौरान अनुषंगिक व्यय"	
तकनीकी जानकार फीस	7493288.00
संदत्त किराया	101806.00
मुद्रण और स्टेशनरी	14086.00
फुटकर व्यय	26598.03
पेशेवर और विधिक फीस	324186.00
लेखापरीक्षा फीस	28090.00
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस	33708.00
प्रदूषण नियंत्रण व्यय	35000.00
यात्रा व्यय	221998.00
वाहन किराया प्रभार	293103.00
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम अभिकरण प्रभार	482133.00
	<hr/>
	9053996.03

ह0/-
सी.ए. आर.आर. गुप्ता
(भागीदार)
सदस्य सं0 81279

ह0/-
(पी.आई. सुव्रतन)
अध्यक्ष

ह0/-
(गौतम सन्याल)
निदेशक

ह0/-
(एस.एस. चहल)
निदेशक

(..... contd.)

Particulars	Amount (In Rs.)
	As on 31.03.2008
<u>SCHEDULE: 7 - "SECURITY DEPOSIT"</u>	
Caution Deposit from RITES	10000.00
	10000.00
<u>SCHEDULE: 8 - "MISCELLANEOUS EXPENDITURE"</u>	
Preliminary Expenses	30501.00
Inaugural Expenses	5482638.00
Promotional Activities	534449.00
	6047588.00
<u>SCHEDULE: 9 - "INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION"</u>	
Technical Know-how Fees	7493288.00
Rent paid	101806.00
Printing & Stationery	14086.00
Miscellaneous Expenses	26598.03
Professional & Legal Fees	324186.00
Audit Fees	28090.00
Internal Auditors Fees	33708.00
Pollution Control Expenses	35000.00
Travel Expenses	221998.00
Vehicle Hiring Charges	293103.00
NBCC's Agency Charges	482133.00
	9053996.03

Sd/-
for Rawla & Company
Chartered Accountants

Sd/-
(P.I.Suvrathan)
Chairman

Sd/-
(Goutam Sanyal)
Director

Sd/-
(S.S.Chahal)
Director

**राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता
और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)**

अचल परिसंपत्तियां

क्रम सं०	ब्योरे	07.08.07 की स्थिति के अनुसार समग्र ब्लॉक	वर्ष के दौरान वर्धन	वर्ष के दौरान निपटान	31.03.08 की स्थिति के अनुसार समग्र ब्लॉक	मूल्यहास		विलोपन	की स्थिति के अनुसार निवल ब्लॉक		
						07.08.2007 तक	वर्ष 31.03.2008 के लिए		31.03.2008 तक	07.08.2007	31.03.2008
1	भूमि	0.00	313626489.00	0.00	313626489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313626489.00
2	कम्प्यूटर और कम्प्यूटर उपसाधन	0.00	244748.00	0.00	244748.00	0.00	27500.00	0.00	27500.00	0.00	217248.00
3	तिजोरी	0.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00
4	अमूर्त-आस्तियां- कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	29800.00	0.00	29800.00	0.00	2508.00	0.00	2508.00	0.00	27292.00
5	बोरवैल	0.00	19950.00	0.00	19950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19950.00
6	विद्युत स्थापन	0.00	39963.00	0.00	39963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39963.00
		0.00	313965550.00	0.00	313965550.00	0.00	34608.00	0.00	34608.00	0.00	313930942.00
	पूर्ववर्ती वर्ष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

रकम (रुपये में)

₹0/-
रावला एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

₹0/-
(पी.आई. सुब्रतन)
अध्यक्ष

₹0/-
(गौतम सन्याल)
निदेशक

₹0/-
(एस.एस. चहल)
निदेशक

SCHEDULE: 2

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

FIXED ASSETS

Sr. No.	PARTICULARS	Gross Block As on 07.08.07	Additions During the Year	Disposals During the Year	Gross Block As on 31.03.2008	Depreciation		Deletion	Net Block as on		Amount (In Rs.)
						Up to 07.08.2007	For the Year 31.03.2008		Up to 31.03.2008	07.08.2007	
1	Land	0.00	313626489.00	0.00	313626489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313626489.00
2	Computer & Computer Accessories	0.00	244748.00	0.00	244748.00	0.00	27500.00	0.00	27500.00	0.00	217248.00
3	Safe	0.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00
4	Intangible Assets- Computer Software	0.00	29800.00	0.00	29800.00	0.00	2508.00	0.00	2508.00	0.00	27292.00
5	Borewell	0.00	19950.00	0.00	19950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19950.00
6	Electrical Installations	0.00	39963.00	0.00	39963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39963.00
		0.00	313965550.00	0.00	313965550.00	0.00	34608.00	0.00	34608.00	0.00	313930942.00
	Previous Year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sd/-
for Rawla & Company
Chartered Accountants

Sd/-
(P. J. Suvrathan)
Chairman

Sd/-
(Goutam Sanyal)
Director

Sd/-
(S.S.Chahal)
Director

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

अनुसूची-10

क. महत्वपूर्ण लेखों नीतियां

1. लेखांकन अभिसमय :

वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार जिन्हें इस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है और कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन सिवाय अन्यथा कथित के, तैयार किया गया है ।

2. नियत आस्तियां और प्रगति पर कार्य

- नियत आस्तियों का उल्लेख संचित अवक्षयण मूल्यहास को घटाकर लागत के रूप में किया गया है । अर्जन की लागत में निर्माण/अर्जन के दौरान आबंटित अनुषंगिक व्यय कर, शुल्क, भाड़ा, संस्थापन शामिल हैं ।
- नियत आस्तियों के अर्जन पर उपगत बकाया को तुलनपत्र की तारीख में और ऐसी तारीख से पहले इस्तेमाल के लिए तैयार न होने वाली नियत आस्तियों का प्रकटन प्रगति पर पूंजी कार्य रूप में किया गया है ।
- जमा कार्य/लागत और संविदा को संविदाकारों से प्राप्त लेखे के विवरण के आधार पर दर्शाया गया है ।

3. मूल्यहास

अचल संपत्तियों पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 1956 में परिसंपत्तियों संबंधी अनुसूची-XIV में निर्दिष्ट प्रक्रिया और दरों के अनुसार, रिटर्न डाउन वैल्यू विधि के आधार पर किया गया है ।

4. अनुदानों का लेखांकन

- अवक्षयणीय नियत आस्तियों से संबंधित अभिप्राप्त सरकारी और अन्य अनुदानों को पूंजी अनुदानों में दिया जाता है और उन्हें "आस्थगित आय" के रूप में माना जाता है और उन्हें आय और व्यय लेखे में आय को उस अवधि के लिए अवक्षयण प्रभारित किया जाता है के रूप में उपदर्शित किया जाता है ।
- गैर-अवक्षयणीय आस्तियों से संबंधित अनुदानों का आय में उस अवधि के लिए जिसमें अनुदानों से संबंधित

बाध्यताओं की लागत को चुकाने के लिए अनुदानों में आय को प्रभारित किया जाता है में प्रत्यय किया जाता है ।

- राजस्व अनुदानों को आय और व्यय लेखे में दर्शाया जाता है ।

5. राजस्व पहचान

- आय को उदभूत होने के आधार पर पहचाना जाता है ।

6. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

- निर्माण अवधि के दौरान उपगत प्रत्यक्ष पूंजी व्ययों को "प्रगति पर पूंजी कार्य" शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है जिसे सुसंगत नियत आस्तियों में, जब वह पूर्ण हो जाएगा, अंतरित कर दिया जाएगा ।
- अप्रत्यक्ष व्यय को "निर्माण के दौरान परियोजना (उपयोजन के लम्बन के दौरान) से संबंधित अनुषंगिक व्यय" शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है और परियोजना के पूर्ण होने पर इसका उपयोजन नियत आस्तियों को कर दिया जाएगा ।
- परियोजना के पूर्ण होने की तारीख तक पहचानी गई आय को "निर्माण अवधि के दौरान (उपयोजन के लम्बन के दौरान) अनुषंगिक व्यय" शीर्ष के अधीन रखा जाएगा ।

7. फुटकर व्यय

प्रारंभिक व्ययों में कंपनी के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित सभी उपगत व्यय शामिल हैं ।

फुटकर व्यय (उस सीमा तक जहां तक बट्टे खाते में/समायोजित नहीं किए गए हैं) शीर्ष के अधीन उपदर्शित व्ययों को संस्थान के शैक्षणिक सत्र के आरंभ के 5 वर्षों के अवधि के पश्चात उपशोधित कर लिया जाएगा ।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

- (क) कंपनी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 7 अगस्त, 2007 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करने के लिए, खाद्य उद्योग में विश्व स्तरीय खाद्य प्रौद्योगिकीविद्, उद्यमी और प्रबंधकों के सृजन के लिए, नूतन प्रौद्योगिकियों का सृजन करने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

SCHEDULE - 10

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention:

The financial statements have been prepared under the historical cost convention in accordance with the accepted accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India and provisions of the Companies Act, 1956 except otherwise stated.

2. Fixed assets and Work-in-Progress:

- Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost of acquisition is inclusive of taxes, duties, freight, installation and allocated incidental expenditure during construction/acquisition.
- Expenses incurred towards the acquisition of fixed assets outstanding as of the balance sheet date and the cost of fixed assets not ready for use before such date are disclosed under capital work-in-progress.
- Deposit work/cost plus contract are accounted on the basis of statements of account received from the contractors.

3. Depreciation:

Fixed Assets have been depreciated on Written Down Value Method in accordance with the rates and in the manner prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 on assets put to use.

4. Accounting for Grants:

- Government and other Grants received relating to depreciable fixed assets are taken to capital grants and treated 'Deferred income' and recognized in the Income and Expenditure Account by allocating to income over the period in which the depreciation is charged.
- Grants relating to non-depreciable assets are credited to income over a period in which the

cost of meeting the obligations attached to the grants is charged to income.

- Revenue grants are accounted to Income and Expenditure Account.

5. Revenue Recognition:

Income is recognized on accrual basis.

6. Expenditure during Construction Period:

- The direct capital expenditure incurred during construction period has been shown under the head "Capital Work-in-Progress" which will be transferred to relevant fixed assets as and when completed.
- Indirect expenditure has been shown under the head "Incidental Expenditure during Construction Relating to the Project (Pending Apportionment)" and will be apportioned to the fixed assets upon completion of the project.
- Income recognized up to the date of completion of the project is to be netted off under the head "Incidental Expenses during construction period (pending apportionment)".

7. Miscellaneous Expenditure:

Preliminary Expenses include all expenses incurred in connection with registration of the company.

The expenditure shown under the head "Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off/adjusted)" will be amortized over a period of five years after commencement of the academic session of the Institute.

B. NOTES ON ACCOUNTS

- 1) a) The company was incorporated on 7th August, 2007 under section 25 of the Companies Act, 1956 by Ministry of Food Processing Industries (MFPI) to develop educational programs, create world class Food Technologists, Entrepreneurs and Managers in the food industry, organize

31 अगस्त, 2006 को आयोजित बैठक में अनुमोदन के पश्चात अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करने तथा बिजनेस इनक्यूबेशन के लिए निगमित किया गया था ।

(ख) कंपनी ने अभी तक अपना शैक्षणिक सत्र आरम्भ नहीं किया है और इसलिए कोई आय और व्यय लेखा तैयार नहीं किया गया है । आय और व्यय लेखे के स्थान पर "निर्माण अवधि (उपयोजन के लंबन के दौरान) उपगत अनुषंगिक व्यय" का एक विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-2 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है ।

2. संस्थान के परिसर के निर्माण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम द्वारा कुंडली (हरियाणा) में 4,04,679.34 वर्गमीटर भूमि आबटित की गई थी और कंपनी को इसका अधिपत्य सौंप दिया गया था । उक्त हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के अभिलेखों में कंपनी के पक्ष में भूमि के स्वामित्व के अंतरण के लिए और हस्तांतरण विलेख के लिए विधिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं ।

3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारत सरकार के एक उपक्रम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को "निपटेम" परिसर के निर्माण के लिए परियोजना निष्पादक अभिकरण के रूप में चुना है । कंपनी ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और रीटैन्शन और ट्रस्ट खाते के माध्यम से 5 करोड़ रुपए की रकम को अग्रिम के रूप में जारी किया है । राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने इस अग्रिम की रकम को ग्राहक पूल खाते में रखा है और 59,40,957/- रुपए का जिसमें 9.5 प्रतिशत का परियोजना लागत अभिकरण

प्रभार भी है को दीवार, पोर्टाकेबिन और अन्य अनुषंगिक व्ययों पर उपयोजन कर लिया है ।

4. आकस्मिक दायित्व :-

(क) पूंजी प्रतिबद्धता (निवल) 73.33 लाख रुपए

(ख) कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राइट्स लिमिटेड के साथ एक तृतीय पक्ष निरीक्षण अभिकरण (टीपीआईए) के रूप में परिसर के निर्माण का निरीक्षण करने, निर्माण की गुणवत्ता का सुनिश्चय करने और परियोजना लागत आकलनों की पुनरीक्षा करने के लिए समझौता किया गया है । टीपीआईए निर्माण लागत का 1.5 प्रतिशत पारिश्रामिक के रूप में प्रभारित करेगी । इस अवधि में कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) मानव संसाधन विकास, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और खाद्य प्रसंस्करण में उद्योग उन्मुख नवीनता का संवर्धन करने के लिए कंपनी ने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड लाइफ साईंसेस, कार्नेल यूनिवर्सिटी (सीएएलएस) से कार्नेल - शतगुरु विकास संस्थापन, हैदराबाद (संस्थापन) के माध्यम से एक सहयोगकारी समझौता किया गया है । कंपनी 3 वर्षों की अवधि के दौरान तकनीकी जानकारी फीस के रूप में 3.925 करोड़ रुपए का संदाय करने के लिए सहमत हो गई है जिसमें से 74.93 लाख रुपए वर्ष के दौरान संदाय किए गए और इन्हें अनुषंगिक व्यय लेखे में प्रभारित किया गया ।

5. निम्नलिखित सरकारी कर्मचारी कंपनी के प्रमुख प्रबंधक कार्मिक हैं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट बोर्ड के मानदेय सदस्य हैं :

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम	कंपनी में पदनाम	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में पदनाम
1.	श्री पी.आई. सुव्रतन	अध्यक्ष	सचिव
2.	श्री अजीत कुमार	निदेशक	संयुक्त सचिव
3.	श्री गौतम सन्याल	निदेशक	संयुक्त सचिव
4.	श्री एस.के. लोहानी	निदेशक	निदेशक
5.	श्री एस.एस. चहल	निदेशक	उप-सचिव

Research Programmes to generate innovative technologies and to provide business incubation after approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs in its meeting held on 31st August 2006.

- b) The company has not yet commenced its Academic session, and, therefore, no Income & Expenditure Account has been prepared. In lieu of Income & Expenditure Account, a Statement of "Incidental Expenditure incurred during Construction (Pending Apportionment)" has been prepared in accordance with the requirement of Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956.
- 2) Land of 4,04,679.34 sq.mtr (100 acres) at Kundli (Haryana) was allotted by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) to Ministry of Food Processing Industries for construction of campus of the Institute and possession of said land is handed over to the company. The legal formalities with regard to transfer of title of land in favour of company in the records of HSIIDC and registration of conveyance deed are in process.
- 3) MFPI had selected National Buildings Construction Corporation Ltd (NBCC), a Government of India Undertaking, as the Project Executing Agency for construction of NIFTEM Complex. The company has signed an MOU with NBCC and released an amount of Rs.5 crore as mobilization advance utilized through Retention and Trust Account. NBCC has kept the said advance amount in Clients Pool Account and utilized Rs. 59,40,957 including their Agency Charges @ 9.5% on the project cost for construction of boundary wall, porta cabin and other incidental expenditure.
- 4) Contingent Liability:-
- a) Capital commitment (net) Rs. 77.33 lakh
- b) The company has entered into an agreement with RITES Limited, a Public Sector Undertaking, as Third Party Inspecting Agency (TPIA) to inspect the construction of campus, ensure quality of construction and scrutinize project cost estimates. The TPIA will charge 1.5% remuneration of construction cost. No bill is received during the period.
- c) To promote initiatives in the area of Human Resource Development, applied Research and Industry-oriented Innovation in Food Processing, the company has entered into a collaboration agreement with the "College of Agriculture and Life Sciences at Cornell University (CALs)" through Cornell-Sathguru Foundation for Development, Hyderabad (Foundation). The company has agreed to pay Rs.3.925 crore plus service tax over a period of three years towards Technical Know-how Fees, out of which an amount of Rs.74.93 lakh has been paid during the year and charged to Statement of Incidental Expenditure Account.
- 5) The following Government Officials are the key management personnel of the company who are honorary members of the board nominated by the Ministry of Food Processing Industries:

Sr. No.	Name of Personnel	Designation in Company	Designation in MFPI
1.	Shri P.I. Suvrathan	Chairman	Secretary
2.	Shri Ajit Kumar	Director	Joint Secretary
3.	Shri Goutam Sanyal	Director	Joint Secretary
4.	Shri S.K. Lohani	Director	Director
5.	Shri S.S. Chahal	Director	Deputy Secretary

6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से अभिप्राप्त पूंजी परिव्यय के मद्दे 486957/- हजार रुपए की रकम मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित है। कंपनी ने 31 करोड़ रुपए के शेयरों का आबंटन किया है और शेष रकम शेयर अनुप्रयोजन लेखे में पड़ी है।
7. कंपनी के उद्देश्यों के आधार पर आय कर अधिनियम की धारा 10 (23)(ग) के अधीन छूट प्राप्त है। आय कर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।
8. कंपनी का यह पहला लेखांकन वर्ष है इसलिए पूर्ववर्ती वर्ष के अंक लागू नहीं हैं।
9. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को कोई बकाया देय नहीं है।
10. लेखापरीक्षकों का पारिश्रामिक :-
लेखापरीक्षा फीस - 25,000/- रुपए
सेवा कर - 3,090/- रुपए
11. वर्ष के दौरान कोई आमदनी, व्यय या भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया गया।
12. निदेशक बोर्ड की राय में और उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम उस मूल्य से कम नहीं है जो तुलनपत्र में दर्शाया गया है।
13. अभिप्राप्य/संदेय पुष्टि, सामंजस्य और परिणामिक समायोजन, यदि कोई हो, की शर्त के अधीन हैं।
14. अनुसूची 1 से 10 तुलनपत्र का अभिन्न भाग है इसलिए उन्हें अभिप्रमाणित किया गया है।

हमारी समसंख्याक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रावला एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते और निमित्त बोर्ड

ह0/-
सी.ए. आर.आर. गुप्ता
(भागीदार)
सदस्य सं0 81279

ह0/-
(पी.आई. सुव्रतन)
अध्यक्ष

ह0/-
(गौतम सन्याल)
निदेशक

ह0/-
(एस.एस. चहल)
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 09.06.2008

- 6) The amount of Rs. 486957 thousands received from the MFPI is on account of capital outlay approved by the CCEA. The company has allotted shares of Rs. 31 crores and remaining amount is lying in share application account.
- 7) On the basis of objects of the company, the income is exempt u/s 10(23)(C) of the Income Tax Act. No Provision of Income Tax is made
- 8) This being the first accounting year of the company, the figures for the previous year are not applicable.
- 9) The company owes no dues to Small Scale Industrial units at the end of year.
- 10) Auditors Remuneration:-
Audit Fees: - 25,000/-
Service Tax: - 3090/
- 11) There is no earning, expenditure or remittance is made in foreign exchange during the year.
- 12) In the opinion of the Board of Directors and to the best of their knowledge and belief the value of current assets, loans and advances is not less than the value at which they are stated in the balance sheet.
- 13) Receivables/payables, are subject to confirmation, reconciliation and consequential adjustments thereof, if any.
- 14) Schedules 1 to 10 form integral part of the balance sheet and have been authenticated.

Signed in terms of our report of even date.

for Rawla & Company
Chartered Accountants

for and on behalf of the Board

Sd/-
C.A R.R.GUPTA
(Partner)
M. No. 81279

Sd/-
(P.I.Suvrathan)
Chairman

Sd/-
(Goutam Sanyal)
Director

Sd/-
(S.S.Chahal)
Director

New Delhi
June 09, 2008

संख्या 696-पीडीसीए/एचएस/एनआईएफटीईएम लेखा 2007-08/1054
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड-4, नई दिल्ली

तारीख : 05.08.2008

सेवा में,

निदेशक/ओएसडी
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान
पंचशील भवन,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110049

विषय : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के लेखों पर 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां

महोदय,

मैं आपको कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के लेखों पर 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां अग्रेषित कर रहा हूँ ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

ह0/

(आर.एम. जौहरी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-4, नई दिल्ली

संलग्नक : यथोपरि

No.-696-PDCA/HS/NIFTEM Accounts/2007-08/1054

**OFFICE OF PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER,
AUDIT BOARD-IV, NEW DELHI.**

Dated: 05.08.08

To,

The Director/ OSD
National Institute of Food Technology
Entrepreneurship and Management
August Kranti Marg, Panchsheel Bhawan
New Delhi-110049

**Sub : Comments of Comptroller and Auditor General of India under Section
619 (4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of the National
Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management for
the year ended 31st March 2008**

Sir,

I am to forward herewith the Comments under Section 619 (4) of the Companies Act 1956 on the accounts of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management for the year ended 31st March 2008.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: As above

Sd/-
(R.M.Johri)
Pr. Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफटेम)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के लेखों पर 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय कथन कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार हैं और उनका दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा नियुक्त कानूनी लेखापरीक्षक का दायित्व उनके पेशेवर निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विहित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा

के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय कथनों पर राय देने का है।

मैंने 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान के वित्तीय कथनों में अनुपूरक लेखापरीक्षण किया। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप में की गई और कानूनी लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागज पत्रों तक बिना पहुंच के की गई है और मुख्यतः यह कानूनी लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तक और कुछ चुनिन्दा लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित थी। मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो मेरी जानकारी में आए और जो मेरे विचार से वित्तीय कथनों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक है।

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणी

"निफटेम" का उत्तर

क. तुलनपत्र

1. शेयरधारकों की निधि

शेयर पूंजी – 31 करोड़ रुपए

शेयर अनुप्रयोजन धन – 17.69 करोड़ रुपए

(i) शेयरपूंजी 15 करोड़ रुपए अधिक कथित की गई है और शेयर अनुप्रयोजन 17.69 करोड़ रुपए सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त रकम को जोड़ने के कारण अधिक कथित किया गया है।

इसका परिणाम भी पूंजी आरक्षति का 32.69 करोड़ रुपए कम दर्शाना रहा है।

(क) सरकार ने "निफटेम" के 16 करोड़ रुपए के साम्य शेयरों का क्रय किया (160 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ "निफटेम" को निगमित करते हुए) जो भूमि की लागत के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड को संदत्त 16 करोड़ रुपए की पहली किस्त के बराबर था (प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा ने कंपनी की राय का समर्थन किया)।

इसी तर्ज पर भूमि की लागत के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को संदत्त 15 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त के विरुद्ध शेयरों का आबंटन किया गया और 17.69 करोड़ रुपए को "शेयर अनुप्रयोजन धन" के अधीन इस संबंध में सरकार के अंतिम विनिश्चय के लम्बन के दौरान रखे गए।

(ख) भारत सरकार, अर्थात् खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनी को एक संस्थान के रूप में निगमन किया और विद्यमान नीति के अधीन कोई भी कंपनी एक लाख रुपए की न्यूनतम संदत्त शेयर पूंजी के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती है।

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT (NIFTEM)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619 (4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2008.

The preparation of financial statements of **National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management** for the year ended 31st March 2008 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body

the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 09.06.2008.

I on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619 (3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statement of **National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management** for the year ended 31st March 2008. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 619(4) of the Companies act, 1956 which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report.

COMMENT OF CAG	NIFTEM'S REPLY
<p>A. Balance Sheet 1. Shareholder's fund Share Capital - Rs 31.00 crore Share Application Money- Rs 17.69 crore (i) The Share Capital is overstated by Rs. 15 crore and Share Application is overstated by Rs 17.69 crore due to inclusion of the amount received from Government as grant</p> <p>This has also resulted in understatement of Capital Reserve by Rs. 32.69 crore</p>	<p>a) The Government had (while incorporating NIFTEM with an authorized capital of Rs. 160 crore) subscribed to the equity shares of NIFTEM to the extent of Rs.16 crore, matching the first instalment of Rs.16 crore paid to HSIIDC towards land cost (Principal Director of Commercial Audit seconded to the opinion of the company)</p> <p>On the same analogy, shares have been allotted against the second instalment of Rs.15 crore paid to HSIIDC towards land cost and further release of Rs.17.69 crore has been kept under "Share Application Money" pending a final decision of the Government in the matter.</p> <p>b) Government of India i.e. Ministry of Food Processing Industries incorporated the Institute as a company under Companies Act, 1956 and no company can come into existence under the present policy without a minimum paid up share capital of Rs.1 lakh.</p>

(ii) बिना संदाय के जारी किए गए शेयरों को रोकड़ में अभिप्राप्त किया जा रहा है को कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग-1 की अपेक्षा अनुसार प्रकटित नहीं किया गया है ।

2. निर्माण के दौरान (उपयोजन के लम्बन के दौरान) अनुषंगिक व्ययों का कथन उदभूत अनुषंगिक व्यय - 90.54 लाख रुपए (अनुसूची-9)

उपरोक्त को 74.93 लाख रुपए से अधिक दर्शाया गया है जिसका कारण "तकनीकी जानकारी फीस" की रकम को शामिल करना है । इसका परिणाम प्रगति पर पूजा कार्य (मूर्त आस्तियों) का 74.94 लाख रुपए कम दर्शाना है ।

3. चालू दायित्व एवं उपबंध - 1.13 लाख रुपए (अनुसूची-6)

"संदेय व्यय" 1.03 लाख रुपए

उपरोक्त का संस्थान के परिसर के निर्माण के लिए अर्जित 100 एकड़ भूमि पर संदेय स्टाम्प शुल्क को लेखांकन में नहीं लेने के कारण 156 लाख रुपए से कम कथन किया गया है । इसका उसी रकम से नियत आस्तियों का कम कथन भी परिणाम हुआ है ।

(ग) इसलिए हमारे विचारों पर भागतः विचार किया गया और स्वीकार किए गए चूंकि भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक ने केवल 16 करोड़ रुपए की सीमा तक ही शेयर पूंजी का अनुमोदन किया है ।

संस्थान द्वारा अंगीकार शेयर निधियों को प्रस्तुत करने से कंपनी का निवल मूल्य अपरिवर्तित रहा है ।

"निफटेम" को भूमि की लागत के आबंटन के लिए "निफटेम" के निगमन से पूर्व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी निधियां 2 किस्तों में 16 करोड़ रुपए और 15 करोड़ रुपए "निफटेम" को पूंजी अनुभाग के अधीन संघ के बजटीय आबंटन में से दी गई थीं । जिस दिन "निफटेम" का निगमन किया गया, इन संदायों को "निफटेम" के लेखों में प्राप्तियों के रूप में लिया गया और बोर्ड की पहली बैठक में भारत के राष्ट्रपति को शेयर आबंटित किए गए थे । अतः सरकार ने "निफटेम" को कोई संपत्ति अंतरित नहीं की और शेयरों का उक्त आबंटन रोकड़ के विरुद्ध था न कि रोकड़ के प्रतिफल के लिए ।

जैसे कि कार्नेल शतगुरु संस्थापन को मूर्त और अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए जानकारी प्रदान करनी थी और उन्होंने लेखापरीक्षा अधीन वर्ष के समाप्त होने से पहले कार्य आरंभ नहीं किया था, अग्रिम संदाय को "निफटेम" की किसी मूर्त या अमूर्त आस्ति में नहीं रखा गया, "निफटेम" ने समझौते पर हस्ताक्षर होने पर उन्हें संदत्त अग्रिम को "निर्माण अवधि (उपयोजन के लंबित रहने के दौरान) के दौरान उदभूत अनुषंगिक व्यय माना ताकि उसे परियोजना के पूरा होने पर संबंधित शीर्ष में उपयोजित किया जा सके । तथापि जैसा कि वांछित था, "निफटेम" संबंधित आस्तियों के शीर्षों को चालू वर्ष में खोल देगा और मूर्त और अमूर्त आस्तियों के संबंध में वर्ष के दौरान संदत्त जानकारी फीस की मात्रा का आकलन करेगा और चालू वर्ष से ऐसे व्ययों को ऐसी आस्तियों में आबंटित करेगा ।

तथापि भूमि की लागत संदत्त कर दी गई है फिर भी संपत्ति की "निफटेम" के नाम रजिस्टरीकरण, परिवर्तन की विधिक प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है । दूसरा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने बैठक के दौरान यह वर्णित किया कि चूंकि संव्यवहार सरकार से सरकार के बीच है इसलिए इसमें कोई स्टाम्प शुल्क अंतर्बलित नहीं है । "निफटेम" ने पहले ही मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह इस मामले को अपने स्तर पर पुष्टि के लिए उठाए । इस मामले को चालू वर्ष के दौरान निपटा दिया जाएगा और अपेक्षित समुचित उपबंध यदि कोई हों को चालू वर्ष के लेखों में किया जाएगा ।

COMMENT OF CAG

NIFTEM'S REPLY

(ii) Shares issued without payment being received in cash have not been disclosed as required under Part I of the Companies Act, 1956

**2. Statement of Incidental Expenditure incurred during construction (pending apportionment)
Incidental Expenses-90.54 lakh (Schedule 9)**

The above is overstated by Rs. 74.93 lakh due to inclusion of amount paid as 'technical know-how fee'. This has also resulted in understatement of Capital Work in progress (Intangible assets) by Rs. 74.93 lakh

3. Current liabilities & provisions - Rs. 1.13 lakh (Schedule 6)

'Expenses payable' Rs. 1.03 lakh

The above is understated by Rs.156 lakh due to non-accounting of stamp duty payable on 100 acres of land acquired for construction of campus of the Institute. This has also resulted in understatement of fixed asset by the same extent.

c) Thus, our views were partly considered and accepted since office of Comptroller and Auditor General of India have approved share capital to the extent of Rs. 16 Crores only.

The net-worth of the company remains unaltered by the presentation of capital funds adopted by the Institute.

Funds released by the Ministry of Food Processing Industries(MFPI) to HSIIDC prior to incorporation of NIFTEM towards the cost of land allotted to NIFTEM in two tranches of Rs.16 crore and Rs.15 crore was out of the budgetary allocations made in the Union Budget under Capital Section for NIFTEM. The day NIFTEM was incorporated, these payments have been taken as receipts in the accounts of NIFTEM and in the first Board meeting shares were allotted to the President of India. Thus, the Government did not transfer any property to NIFTEM and the said allotment of shares is against cash and not in consideration other than cash.

As Cornell-Sathguru Foundation has to deliver know-how to develop tangible and intangible assets and as they had not commenced work before the close of the year under audit, the token of advance payment is not attributable to any asset, tangible or intangible, NIFTEM had treated the advance paid to them on signing the agreement as "Incidental Expenses incurred during construction period (pending apportionment)" so that it will be apportioned to related asset heads upon completion of the project. However, as desired, NIFTEM will open heads of respective assets in the current year and assess the quantum of know-how fees paid during the year in respect of tangible and intangible assets and allocate the expenses to such assets from the current year onwards.

Though the cost of the land was paid, yet the legal process of registration and mutation of the property in the name of NIFTEM is in process. Secondly, HSIIDC had mentioned during meetings that as the transaction is between Government to Government, no stamp duty was involved. NIFTEM has already requested the Ministry to take up the matter at its level to get a confirmation in this regard. The matter shall be sorted out in the current year and suitable provision, if any, required shall be made in the current year's accounts.

As Cornell-Sathguru Foundation has to deliver know-

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणी

"निफटेम" का उत्तर

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची-10क)

उपरोक्त में एएस-26 के अधीन यथापेक्षित अमूर्त आस्तियों के लिए लेखांकन, उपयोगी जीवन/परिशोधन दर, परिशोधन विधि के संबंध में जानकारी को शामिल नहीं किया गया है ।

ग. लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची-10ख)

टिप्पण संख्या 6

टिप्पणी कथन करती है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से 4869.57 हजार रुपए की रकम मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित पूंजी परिव्यय के मद्दे है । यह रकम 4869.57 लाख रुपए होनी चाहिए । यह टिप्पण इसे शामिल नहीं करता है कि रकम को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों संबंधी समिति द्वारा अनुदान के रूप में अनुमोदित किया गया था ।

टिप्पण संख्या 7

इस टिप्पण में यह कमी है कि आयकर अधिनियम की धारा 10(23ग) के अधीन छूट की औपचारिक अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है ।

जैसे कि कार्नेल शतगुरु संस्थापन को मूर्त और अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए जानकारी प्रदान करनी थी और उन्होंने लेखापरीक्षा अधीन वर्ष के समाप्त होने से पहले कार्य आरंभ नहीं किया था, अग्रिम संदाय को "निफटेम" की किसी मूर्त या अमूर्त आस्ति में नहीं रखा गया, "निफटेम" ने समझौते पर हस्ताक्षर होने पर उन्हें संदत्त अग्रिम को "निर्माण अवधि (उपयोजन के लंबित रहने के दौरान) के दौरान उदभूत अनुषंगिक व्यय माना ताकि उसे परियोजना के पूरा होने पर संबंधित शीर्ष में उपयोजित किया जा सके । तथापि जैसा कि वांछित था, "निफटेम" संबंधित आस्तियों के शीर्षों को चालू वर्ष में खोल देगा और मूर्त और अमूर्त आस्तियों के संबंध में वर्ष के दौरान संदत्त जानकारी फीस की मात्रा का आकलन करेगा और चालू वर्ष से ऐसे व्ययों को ऐसी आस्तियों में आबटित करेगा ।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों संबंधी समिति का अनुमोदन 244.6 करोड़ रुपए की आकलित लागत से "निफटेम" की स्थापना करने के लिए था । कंपनी के ज्ञापन और संगत ज्ञापन की विरचना करते हुए सरकार ने कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 160 करोड़ रुपए नियत किया और 4,86,957 हजार रुपए की राशि जारी की जिसमें से 16 करोड़ रुपए ज्ञापन और संगम ज्ञापन में साम्य शेयरों के स्प में दिखाया गया है (रिपोर्ट के अनुसार प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा की भी यही राय है) अतः 4,86,957 हजार रुपयों को अनुदान नहीं माना गया है ।

पूर्वोक्त स्थिति के आधार पर 15 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भूमि की लागत के लिए जारी की गई और उसका प्रयोग बोर्ड द्वारा भी कर लिया गया और 17.69 करोड़ रुपए की बकाया रकम को शेयर अनुप्रयोजन धन के अधीन रखा गया । "निफटेम" ने यद्यपि इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए पहले ही मंत्रालय को निर्दिष्ट कर दिया है । मंत्रालय से अभिप्राप्त किए जाने वाले स्पष्टीकरण के आधार पर इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी । लिपिकिय त्रुटि का सुधार कर लिया गया है ।

"निफटेम" धारा 10(23ग) (iii कख) के अधीन छूट का पात्र है जो इस प्रकार है :-

कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान "जो केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए और न कि लाभ के प्रयोजन के लिए आस्तित्व में है और जिसका पूर्णतः यह सारवान् रूप से वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 10(23ग) (iii कख) के अधीन "निफटेम" स्वतः ही छूट का पात्र है और किसी औपचारिक अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है । कंपनी आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपेक्षित विवरणी भरेगी । अतः आय-कर को कोई दायित्व नहीं है ।

COMMENT OF CAG

NIFTEM'S REPLY

B. Significant Accounting Policies (Schedule 10 A)

The above does not include information regarding accounting, useful life/amortization rate, amortization method for intangible asset as required under AS-26

how to develop tangible and intangible assets and as they had not commenced work before the close of the year under audit, NIFTEM had treated the advance paid to them on signing the agreement as "Incidental Expenses incurred during construction period (pending apportionment)" so that it will be apportioned to related assets. However, as desired, NIFTEM will open head of intangible assets in the current year and assess the quantum of know-how fees paid during the year on the basis of work performance of Cornell-Sathguru and allocate the expenses as intangible assets to such assets from the current year onwards.

C. Notes on Accounts (Schedule 10 B)

Note No. 6

The Note states that an amount of Rs. 4869.57 thousand from MFPI is on account of Capital outlay approved by the C.C.E.A. The amount should be Rs. 4869.57 lakh. The Note does not include that the amount was approved by C.C.E.A as grant.

CCEA's approval is for setting up of NIFTEM at an estimated cost of Rs. 244.6 crore. While formulating the Memorandum & Articles of Association of the company, Government has fixed the Authorized Share Capital of the company at Rs. 160 crore and released a sum of Rs. 4,86,957 thousand, out of which Rs. 16 crore was subscribed in the Memorandum and Articles of Association. (As per report, Principal Director of Commercial Audit is of the similar opinion.) Hence, Rs. 4,86,957 thousand cannot be considered as grant.

Based on the above position second instalment of Rs. 15 crore released towards land cost was also capitalized by the Board and the balance amount of Rs. 17.69 crore kept under share application money. NIFTEM has however already referred the issue to the Ministry for clarification. Based on the clarification to be received from the Ministry, further action will be taken in the matter. Typographical error has since been corrected

Note No. 7

Note is deficient to the extent that formal notification of exemption under Section 10(23 C) of Income Tax Act is awaited.

NIFTEM is eligible for exemption u/s 10(23C)(iiiab) which reads as follows:-

Any University or other Educational Institution "existing solely or educational purpose and not for purpose of profit, and which is wholly or substantially financed by the Government.

Exemption from income-tax u/s 10(23C) (iiiab) of Income Tax Act to NIFTEM is automatic and no formal permission is required. The Company will file the return as required under the provisions of Income Tax Act. Thus there is no income tax liability.

पंजीकृत कार्यालय :
Registered Office :
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110 049
Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi 110 049
फोन नं./Phone No. : 26497131, 26497132 फैक्स नं./Fax No. : 26497134